न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–168/2014

CIS No. 174/2018

ध्रुव चौधरी एवं अन्य.....मुदईयान

बनाम

शेख नवाब एवं अन्य.....मुदालहम

DATE	ORDER	REMARKS
15.05.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। मुदालहम की तरफ से एक आवेदन दिनांक 10.07.2024 को अन्दर दफा 74 और 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 15.05.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को मुदालहम के आवेदन दिनांक 10.07.2024 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज **आदेश (ORDER)** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।	
पश्चात् 15.05.2025	मुदालहम के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वादीगण ने वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे मद सं0–03 अर्जी नालिश पर अपने हकियत की घोषणा, दखल–कब्जा की वापसी के साथ–साथ प्रश्रय प्राप्त अधिनियिम के तहत निर्गत मुदालह के पर्चा और आदेश को निरस्त करने वास्ते दाखिल किया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में बिहार प्रश्रय प्राप्त अधिनियम के अन्तर्गत वाद सं0–01/2009–10 के अन्तर्गत जाँच– प्रतिवेदन, नक्सा एवं आदेश पत्र की सच्ची प्रतिलिपी के साथ–साथ आठ फर्द पर्चा की सच्ची प्रतिलिपी और मूल प्रतिलिपी दाखिल किया हैं जो अभिलेख पर है। मुदालहम् की ओर से दाखिल सभी कागजात मालगुजारी रसीद को छोड़कर सभी लोक अभिलेख है जिसका पुरा विवरण इस आवेदन–पत्र के अन्त में दिया गया हैं। इस आवेदन–पत्र के अंत में दी गई कागजात लोक अभिलेख है जिसे साबित करने के लिए किसी औपचारिक साक्षी की आवश्यकता नहीं है बल्कि सभी कागजात वादग्रस्त भूमि से सम्बंधित है और मोकदमा के उचित निर्णय हेतु आवश्यक है। अगर निम्नांकित कागजात	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–168/2014

CIS No. 174/2018

ध्रुव चौधरी एवं अन्य.....मुदईयान

बनाम

शेख नवाब एवं अन्य.....मुदालहम

लगातार 15.05.2025	को प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श अंकित नहीं किया गया तो मुदालहम को अपूर्णीय क्षति होगी और न्याय से वंचित हो जायेंगे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निम्नांकित कागजात को लोक अभिलेख होने के कारण प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श अंकित करने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाय। इसके लिए प्रतिवादीगण श्रीमान् का सदैव आभारी रहेंगें। कागजात का विवरण अंचल लौरिया द्वारा प्रश्रय प्राप्त रैयत वाद सं0–01/2009–10 में राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अमीन द्वारा तैयार नक्सा और अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2010 से लगायत दिनांक 11.05.2010 का आदेश पत्र, आम नोटिस और प्रतिवादीगण द्वारा दिया गया आवेदन–पत्र की सच्ची प्रतिलिपी के साथ आठ फर्द पर्चा की सच्ची प्रति, पी. पी. पर्चा बनाम शेख नवाब, पी. पी. पर्चा बनाम शेख समसुल, पी. पी. पर्चा बनाम शेख मुस्तफा, पी. पी. पर्चा बनाम शेख मुस्ताक उर्फ भुट्टु, पी. पी. पर्चा बनाम शेख मुन्ना, पी. पी. पर्चा बनाम शेख इसहाक, पी. पी. पर्चा बनाम शेख सलाउद्दीन, पी. पी. पर्चा बनाम शेख हकीक और मूल प्रति। वादीगण की ओर से दिनांक 12.08.2024 को दाखिल प्रतिउत्तर में बताया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 74 और 77 (अब 77 की जगह 76) जो दिनांक 01.07.2024 से लागू है, अंतर्गत दाखिल याचिका विधि व तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धार–3 में यह प्रावधान किया गया है कि " A fact is said to be proved when after considering the matter before it, the court either believed to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon supposition that exists." धारा–59 में किसी तथ्य को साबित करने के लिए यह नियम है कि All facts, excepts the contents of documents, may be proved by oral evidence. धारा–65 के अनुसार– Under the heading "of Documentary evidence",- The contents of document may be proved either by primary or secondary evidence. धारा–62	

लगातार 15.05.2025	में यह वर्णन किया गया है कि "Primary evidence means the documents itself produced for the inspection of the court." धारा–63 के अनुसार "Secondary evidence includes, inter alia, certified copy given under the provisions thereinafter contained in the Act, and oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it." भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राईवेट या लोक दस्तावेज द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वतः साबित होने का कोई प्रावधान नहीं है। इन दोनों को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए जो सुक्ष्म अंतर माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सी0 एच0 साह बनाम मालपाठक व ओमप्रकाश बर्लिया बनाम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया व अन्य के केस में किया गया है, वह निम्न प्रकार हैः– (I) He who seeks to prove a public document is a relieved of the obligation to produce the original. He can produce instead a certified copy. All other requirements he must still comply with. (ii) A consideration of the relevant provisions of the evidence act clerly showed the court that the only difference which the Act made between public and private documents was in regard to the form of secondary evidence, and in regard to the presumption of the genuineness of the certified copy; in all other respects, no distinction was drawn by the Act between public and private documents. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वनाथ राय के केश में कहा है किः किसी भी दस्तावेज को चाहे वह प्राईवेट या लोक दस्तावेज हो, को ग्रहण करते समय यह विचार करना होगा किः The distinction between proof of the contents of a document and proof of the truth of the contents of a document. Woodroffe and Ameer Ali की धारा–74 में प्रतिपादित लोक दस्तावेज की श्रेणी में जो दस्तावेज वर्गीकृत है, वो निम्न प्रकार हैः– 8- Revenue- Jamabandi- A Jamabandi prepared by a Deputy Collector while	

लगातार 15.05.2025	engaged in the settlement of land under Regulation VII of 1882 has been held to be a public document within the meaning of this section on the ground that the act of the Collector in making a settlement or even inquiry under the provisions of that regulation is that of a public office, whether it be judical or executive (It probably partaking of both characters) and that the record of such acts is a public documents. Mutation, quinquennial and settlement registers. Record of rights, pedigree table in settlement reports, survey and settlement report. ज्हां तक वासगीत पर्चा से संबंधित लौरिया अंचल अमीन द्वारा तैयार नक्शा का संबंध है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–83 के अनुसार लोक दस्तावेज की श्रेणी में स्थान नहीं पाता है। धारा–83 में नक्शा के संबंध में जो प्रावधान है वह इस प्रकार है– "The court shall presume that maps or plans purporting to be made by the authority of 4 (The Central Government or any Stata Government) were so made, and are accurate, but maps or plans made for the purpose of any cause must be proved to be accurate." माननीय पटना उच्च न्यायालय ने राजा ब्रज सुन्दर देव बनाम राजा राजेन्द्र नारायण भंजदेव के केश में राजस्व से संबंधित लोक दस्तावेज के बारे में फैसला देते हुए कहा है किः– "(c)- Evidence Act (1872), S. 74- Survey and settlement report prepared by Assistant and Survey Superintendent is admissible (AIR 1941 Patna-260)". डसी तरह माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने श्रीमती बेबी बनाम जयंत महादेव जगताप व अन्य के केस में पंचायत स्तर पर लोक दस्तावेज को साबित करने के विषय में जो व्यवस्था दी है वह निम्न प्रकार है– "Evidence Act (1 of 1872), Sec. 35 & Extract from register of marriages maintained by Gram Panchayat- Gram Sewak of the prson who gave information about marriage not examined-Extract cannot be relied upon." उपरोक्त	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–168/2014

CIS No. 174/2018

ध्रुव चौधरी एवं अन्य.....मुदईयान

बनाम

शेख नवाब एवं अन्य.....मुदालहम

लगातार 15.05.2025	प्रतिपादित कानून पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात लोक दस्तावेज की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है। गौरतलब है कि पर्चाधारी प्रतिवादीगण ने अपने गवाही के माध्यम से वासगीत पर्चा को प्रदर्श अंकित नहीं कराया है। अगर मान लिया जाए कि वे दस्तावेज लोक दस्तावेज है तो साक्ष्य अधिनियम की धाराओं में प्रतिपादित नियम के अंतर्गत औपचारिक रूप से उन दस्तावेजों को निर्माताओं से साबित कराना होगा, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम प्राईवेट दस्तावेज व लोक दस्तावेज को साबित करने कि प्रकिया में कोई भेद नहीं करता। साथ ही, उपरोक्त कागजात के अस्तित्व के संबंध में वादीगण द्वारा दाखिल नालिस के माध्यम से संदेह प्रकट किया गया है। इसके अलावा, माननीय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना पुनित दायित्व है कि वादी या प्रतिवादी द्वारा कानून का उल्लंघन न हो और कानूनी की महता बनी रहे। इस प्रतिउत्तर के साथ केश लॉ श्रीमान् के अवलोकनार्थ संलग्न है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अगर प्रतिवादीगण साक्ष्य अधिनियम में प्रतिपादित नियमों के अनुसार दाखिल कागजातों को निर्माताओं द्वारा साबित नहीं कराते है, तो उनके आवेदन को न्यायहित में खारिज करने की कृपा करें, क्योंकि इससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसके लिए वादीगण आपका सदैव आभारी रहेंगे। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है मुदालहम की तरफ से एक आवेदन दिनांक 10.07.2024 को अन्दर दफा 74 और 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर वादीगण द्वारा दिनांक 12.08.2024 को दाखिल किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा यह आवेदन अपने दावे के समर्थन में बिहार प्रश्रय प्राप्त अधिनियम के अन्तर्गत वाद सं0–01/2009–10 के अन्तर्गत जाँच– प्रतिवेदन, नक्शा एवं आदेश पत्र की सच्ची प्रतिलिपी के साथ–साथ आठ फर्द पर्चा की सच्ची प्रतिलिपी और मूल प्रतिलिपी दाखिल किया हैं जो अभिलेख पर है, को प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श अंकित करने हेतु लाया गया है। वादीगण द्वारा इसे आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित करने को कहा गया।	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–168/2014

CIS No. 174/2018

ध्रुव चौधरी एवं अन्य.....मुदईयान

बनाम

शेख नवाब एवं अन्य.....मुदालहम

लगातार 15.05.2025	अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 10.07.2025 को स्वीकार किया जाता है एवं आपत्ति के साथ अंचल लौरिया द्वारा प्रश्रय प्राप्त रैयत वाद सं0– 01/2009–10 में राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन को प्रदर्श–B, अमीन द्वारा तैयार नक्सा को प्रदर्श–C और अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2010 से लगायत दिनांक 11.05.2010 का आदेश पत्र को प्रदर्श–D, आम नोटिस को प्रदर्श–E और प्रतिवादीगण द्वारा दिया गया आवेदन–पत्र की सच्ची प्रतिलिपी के साथ आठ फर्द पर्चा की सच्ची प्रति को प्रदर्श– F से F7 अंकित किया जाता है। वाद दिनांक 03.07.2025 को प्रतिवादी साक्ष्य वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	